FORM No. III

APP Crll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बसवा

गीता देवी बनाम सरकार

रस्म मुकदमा दावा नं. 220 सन 2022

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 28/8/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
28/8/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वास्ते निर्णय हेतु दि. ता. 11-9-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
11/9/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान की बहस उपरांत निर्णय पृथक से लिखा जाकर, शामिल मिसल किया गया, पत्रावली कोतल रजिस्टर दर्ज होकर नकल म शामिल रिकार्ड होकर कक्ष हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

उप जिला कलेक्टर बसवा, राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–220/2022 (पूर्व प्रकरण सं.250/2019)
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 21.11.2019
निर्णय दिनांक :– 11.9.2024

प्रकरण :– दावा दुरस्ती नक्शा ट्रेस अंतर्गत धारा 136

प्रकरण का उनवान

गीतादेवी पत्नी रामप्रसाद जाति मीना निवासी ढाणी, झुरांवतन, बसवा
तहसील–बसवा जिला–दौसा राजस्थान (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा
2. उमेश कुमार पुत्र गंगालहरी जाति मीना निवासी झरवालों की ढाणी, बसवा
3. गिरिश कुमार पुत्र गंगालहरी जाति मीना निवासी झरवालों की ढाणी, बसवा
4. उषा देवी पत्नी गंगालहरी जाति मीना निवासी झरवालों की ढाणी, बसवा
5. कपिल देव पुत्र शिवसहाय जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
6. मुकेश कुमार पुत्र शिवसहाय शिवसहाय जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
7. शिवलहरी पुत्र शिवसहाय शिवसहाय जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
8. तारा देवी पत्नी कमलेश कुमार जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
9. पंकज पुत्र कमलेश कुमार जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
10. पुनीत पुत्र कमलेश कुमार जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
11. प्रियंका पुत्री कमलेश कुमार जाति मीना नि.झरवालो की ढाणी, बसवा
12. किशनलाल पुत्र दामोदरप्रसाद जाति हरि.ब्राहमण, नि.बदाली की ढाणी,बसवा
13. गिर्राज प्रसाद पुत्र दामोदरप्रसाद जाति हरि.ब्राहमण, नि.बदाली की ढाणी,बसवा
14. दिनेशचंद पुत्र दामोदरप्रसाद जाति हरि.ब्राहमण, नि.बदाली की ढाणी,बसवा
15. महेश कुमार पुत्र दामोदरप्रसाद जाति हरि.ब्राहमण, नि.बदाली की ढाणी,बसवा
16. वेदप्रकाश पुत्र दामोदरप्रसाद जाति हरि.ब्राहमण, नि.बदाली की ढाणी,बसवा
17. कमलेशचंद पुत्र सूरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
18. कैलाश चंद पुत्र सुरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
19. बाबूलाल पुत्र सूरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
20. रमेशचंद पुत्र सुरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
21. रामप्रसाद पुत्र सुरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
22. गुलाब पुत्री सुरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
23. गीता पुत्री सुरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
24. गोवन्दिराम पुत्र मूलचंद जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
25. बद्रीप्रसाद पुत्र मुलचंद जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
26. जानकी पत्नी सुरजमल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा
27. बनवारी पुत्र कंहैयालाल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

28. रूपनारायण पुत्र कहैंयालाल जाति हरि.ब्राहमण नि: बदाली की ढाणी बसवा

29. हनुमान सहाय पुत्र कंहैयालाल जाति हरि.ब्राहमण नि. बदाली की ढाणी बसवा

(प्रतिवादीगण)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

–:<u>निर्णय</u> :–

दिनांक :–11.09.2024

एडवोकेट :–1.वादिया की ओर से एडवोकेट श्री राजेश कुमार उपस्थित

2.प्रतिवादी संख्या 2 से 29 की ओर से एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर

पत्रावली आज न्यायालय हाजा के पटल पर रखी गई । प्रकरण में वादिया द्वारा एक वाद वास्ते दावा दुरस्ती नक्शा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम झरवालों की ढाणी, बसवा तहसील–बसवा जिला–दौसा में खतौनी संख्या नया 20 खसरा नंबर 2145/0.76 हैक्टयर, 2146/0.91 हैक्टयर, 2146/10021/0.14 हैक्टयर, 2147/1.15 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टयर, जिसके पुराने खसरा नंबर 1504, 1505, 1506 जिन्हें वादिया ने खातेदार सतीशचन्द्र से जरिये रजिस्ट्री कय की थी जो वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है । पूर्व में भूमि में आने जाने के लिये खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 जिसके पुराने खसरा नंबर 1509, 1515, 1516, 1539, 1541 में होकर पगडण्ढी नक्शा ट्रेस में बनी हुई थी ओर भूमि के पूर्व खातेदार इसी पगडण्डी में होकर अपनी भूमि पर अपने साधन हल, बैल, ट्रक्टर, जीप आदि लाते ले जाते रहे हैं । उसके बाद वादिया भी उसी रास्ते में होकर अपनी खेती भूमि में होकर अपनी खेती भूमि के लिये हल, बैल, जीप इत्यादि ले जाती रही है । वादिया ने अपनी खातेदारी भूमि में दिनांक 5.11.2019 को अपनी भूमि में आगामी फसल के लिये जोत लगवाने के लिये गई तो उक्त खसरा नंबरान पर मौजूद खातेदारान ने वादिया को जोत नहीं लगाने दी, व साधनों को वादिया की भूमि तक नहीं जाने दिया । वादिया ने बहुत मिन्नते की कि इसमें होकर हम व पूर्व खातेदारान के द्वारा वर्षो से फसल की आबपासी के लिये इसी पगडण्डी में होकर अपने हल, बैल ट्रेक्टर इत्यादि लाते ले जाते रहे हैं । वादिया ने उक्त लोगों के द्वारा मना करने पर पूर्व में नक्शे व वर्तमान नक्शा की नकल के लिये दिनांक 4.11.2019 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 5.11.2019 को वादिया को प्राप्त हुई, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा सैटलमेंट करते समय वादिया की भूमि में आने जाने वाले रास्ते/पगडण्डी में नया नक्शा बनाते समय तब्दीली कर दी और पगडण्डी को नये नक्शे में दर्शित नहीं किया जबकि पूर्व के नक्शे में खसरा नंबर 1509, 1515, 1516, 1539, 1541 में होकर स्पष्ट रास्ता/पगडण्डी कायम रही है । उसमें होकर ही वादिया व पूर्व के खातेदारान आते–जाते रहे हैं । इसलिये अब वादिया राजस्व अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से किये गये, नक्शा में इन्द्राज को हजफ करवाकर, नक्शा ट्रेस को पूर्व की भांति रास्ता/पगडण्डी कायम करवाते हुए तब्दीली करवाने की अधिकारी है । इस प्रकार डिकी दुरस्ती नक्शा ट्रेस बहक वादिया वरखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पूर्व में भूमि में आने जाने के लिये खसरा नंबर 2154, 2186, 2189 व 2191 जिसके पुराने खसरा नंबर 1509, 1515, 1516, 1539, 1541 में होकर पगडण्डी नक्शा ट्रेस में बनी हुई थी ओर भूमि पर पूर्व खातेदार उसी पगडण्डी में होकर अपनी भूमि में अपने साधन हल, बैल, ट्रेक्टर, जीप आदि लाते ले जाते रहे हैं उसके बाद वादिया भी अपनी भूमि में जाने के लिये उसी पगडण्डी में होकर हल, बैल, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि ले जाती रही है । इसलिये अब वादिया राजस्व अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से किये गये नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज को हजफ करवाकर, नक्शा ट्रेस को पूर्व की भांति रास्ता/पगडण्डी कायम करवाते हुए तब्दीली करवाने की अधिकारी है, उक्त आशय की डिकी वादिया अपने हक में जारी करवाने की अधिकारी है ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 29 की ओर से एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर उपस्थित आये एवं एक प्रार्थना पत्र Order 1 Rule 10 CPC (बनाये जाने पक्षकार) जाने हेतु पेश किया, जिसमें उक्त अप्रार्थीगणों द्वारा अंकन किया गया कि वादिया द्वारा एक दावा दुरस्ती नक्शा ट्रेस बाबत खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 बाबत पेश किया है, उपरोक्त खसरा नंबरान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, प्रार्थीगण उपरोक्त दावें में आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना इंसाफन कानूनन न्यायोचित है । उपरोक्त वाद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेस की दुरस्ती बाबत पेश किया गया है, कानूनन किसी खातेदार की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का विचारण करते समय उक्त भूमि के खातेदारान को सुना जाना कानूनन न्यायोचित है । कानूनन प्रार्थीगण उपरोक्त वाद में आवश्यक पक्षकार हैं कानूनन वादिया को ही प्रस्तुत वाद में अपने द्वारा ही पक्षकार बनाना चाहिए था परंतु वादिया द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

न्यायालय हाजा के सामने नहीं आ सके, इसी कारण सिर्फ तहसीलदार महोदय को ही पक्षकार बनाकर दावा पेश किया गया है । जो वादिया की बदेहान्ति को दर्शाता है । प्रार्थीगण उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं इस कारण प्रार्थीगण को दावा में पक्षकार बनाया जाना जरूरी है ।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र **Order 1 Rule 10 CPC** (बनाये जाने पक्षकार) के संबंध में वादिया द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नंबर 1 गलत है अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र का पैरा नंबर 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, अस्वीकार है । राजस्व अधिकारियों ने पूर्व में खसरा नंबरान में होकर पगडण्डी नक्शा ट्रेस में बनी हुई को नये नक्शे में हटा दिया है, जिसमें भिन विपक्षीगण/प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है । क्योंकि भूमि अधिकारी तहसीलदार महोदय होता है, जिसको ही नक्शा दुरस्ती करने के अधिकार प्राप्त है । अतः प्रार्थना पत्र **Order 1 Rule 10 CPC** (बनाये जाने पक्षकार) को खारिज किया जावे ।

प्रार्थना पत्र **Order 1 Rule 10 CPC** (बनाये जाने पक्षकार) के संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उपलब्ध रिकोर्ड का आद्योपांत अध्ययन के उपरांत दिनांक 29.3.2022 को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र **Order 1 Rule 10 CPC** (बनाये जाने पक्षकार) को बतौर पक्षकार प्रतिवादी/अप्रार्थीगण बनाये जाने हेतु आदेश जारी किये गये एवं प्रार्थना पत्र **Order 1 Rule 10 CPC** (बनाये जाने पक्षकार) को स्वीकार किया गया । उक्त प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने के उपरांत प्रकरण में संशोधित कॉज टाइटल शामिल मिसल किया गया ।

प्रार्थना पत्र **Order 1 Rule 10 CPC** (बनाये जाने पक्षकार) स्वीकार किये जाने के उपरांत प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 29 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र का पैरा नंबर 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, गलत है, पैरा नंबर 2 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है, अस्वीकार है, खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 में होकर कभी भी पगडण्डी या रास्ता मौके पर मौजूद नहीं रहा है । न ही वर्तमान में रास्ता है । वादिया का यह कहना कि पगडण्डी में होकर अपनी भूमि पर साधन हल, बैल, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि लाते ले जाते रहे हैं, कतई गलत है । वादिया के ससुर छाजूलाल पुत्र बुद्धालाल ने एक प्रा.पत्र 251 ए न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया, खसरा नंबर 2154 व 2186 में होकर रास्ता देने बाबत पेश किया था, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 7.1.2013 को स्वीकार किया गया था, जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष मुकदमा नंबर 12/2013 उनवान शिवजहरी बनाम छाजूलाल पेश की थी, जिसका निर्णय 13.2.2013 को किया गया था, जिसमें न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय बांदीकुई के निर्णय दिनांक 7.1.2013 को निरस्त कर दिया गया । न्यायालय आर.ए.ए. जयपुर के निर्णय की पुष्टि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी/टी.ए./2912/2013/दौसा उनवान छाजूलाल बनाम शिवलहरी वगैरह में दिनांक 27.12.2016 को की है । आराजी खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 में होकर वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में कोई पगडण्डी दर्ज नहीं है । न ही मौके पर कोई पगडण्डी या रास्ता चालू है । नक्शा दुरस्ती की आड में कानूनन किसी भी खातेदार की भूमि के रकबे को कम नहीं किया जा सकता है । दावा वादी का खारिज किये जाने योग्य है । ग्राम झरवालों की ढाणी, पटवार हलका बसवा का खाता संख्या नया 1 का खसरा नंबर 2132 गै.मु.रास्ता की भूमि है, जिस पर होकर सा.नि.विभाग की डामर सडक का निर्माण भी किया हुआ है । मौके पर खसरा नंबर 2132 को जोडते हुए खसरा नंबर 2116, 2113/2, 2112, 2110 में होते हुए खसरा नंबर 2189 जो की नाले की भूमि है, की पुलिया तक ग्रेवल रोड बनी हुई है जो वादिया की खातेदारी भूमि 2145 के लगते हुए है । उक्त ग्रेवल रोड झरवालों की ढाणी से थमावली गांव तक जा रहा है । वादिया इसी रास्ते से होकर अपने काश्त तक आ-जा रही है । साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 29 द्वारा उनके जवाब में बिन्दु/पैरा संख्या 3 लगायत ... को भी गलत व अस्वीकार होना उनके जवाब में अंकित किया है । जवाब में अतिरिक्त कथन के ... में अंकित किया है कि वादिया गीता देवी को वे ही मार्ग संबंधी अधिकार प्राप्त हैं, जो ... सतीशचन्द्र, जो ढाणी झरवाल जाने वाले डामर रोड खसरा नंबर 2132 से 2133, 2142 व ... में होकर जाते थे । कानूनन व इंसाफन गीता देवी उसी मार्ग का उपयोग करने हेतु अधिकृत है । दावा बिना वादकरण के प्रस्तुत हुआ है अतः दावा काबिले खारिज है ।

प्रकरण में उभयपक्षकारान के जवाब प्राप्त होने पर, तनकीयात कायम की गई । जिनका विनिश्चयन इस निर्णय के आगामी भाग में अंकन किया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के कम में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 12.11.2021 के द्वारा प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट पेश की कि पत्रावली में संलग्न साबिक नक्शा सीट में खसरा नंबर 1541, 1539, 1515 व 1516 व 7509 में होकर डोटेड पगडण्डीनुमा रास्ता दर्ज है । जिसका कोई खसरा नंबर एवं कोई रकबा अंकित नहीं है । उपरोक्त साबिक नंबरों के नये नंबर 2154, 2188, 2189, 2191 व 2192 बने हैं, जिनमें वर्तमान रिकोर्ड में कोई पगडण्डी दर्ज नहीं है । न ही मौके पर कोई पगडण्डी या रास्ता चालू है । श्रीमान् जी यदि पूर्व में डोटेड (पगडण्डी) को वर्तमान रिकोर्ड में दर्ज किया जाता है तो वर्तमान खातेदारान का रकबा (क्षैत्रफल) कम होता है ।

प्रकरण में यद्यपि तहसीलदार बसवा द्वारा जांच रिपोर्ट तो पेश कर दी गई किंतु प्रस्तुत वादीया वाद पत्र का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत नहीं करने से, अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बसवा को प्रस्तुत वादपत्र का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बसवा की ओर से उनके पत्रांक पैरोकार सरकार/2023/648 दिनांक 27.7.2023 के सलंग्न पटवारी हलका की बिन्दुवार रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित किया कि राजस्व रिकोर्ड अनुसार प्रार्थिया का बिन्दु संख्या 1 सही है, वर्तमान रिकोर्ड नक्शा सीट में कोई पगडण्डी दर्ज रिकोर्ड नहीं है । शेष कथन को सिद्ध करने का भार वादिया पर है । बिन्दु संख्या 3 लगायत 7 को सिद्ध करने का भार वादिया पर है एवं शेष बिन्दु स्वयं न्यायालय से संबंधित हैं । खसरा नंबर 2145, 2146, 2146/10021, 2147 किता 4 रकबा 2.96 गीता देवी पत्नी रामप्रसाद हि. पूर्ण जाति मीना राहिन पूर्ण खाता यूको बैंक दर्ज रिकोर्ड है तथा मौके पर पडत पडी हुई है । तथा खसरा नंबर 2154 खाता संख्या 125 के खातेदारान के नाम उमेश पुत्र गंगालहरी वगै. के नाम दर्ज रिकोर्उ है तथा कब्जा काश्त है । खसरा नंबर 2186 खाता संख्या 5 के खातेदारान किशनलाल पुत्र दामोदरप्रसाद वगैरह के नाम दर्ज रिकोर्ड है तथा कब्जा काश्त है । खसरा नंबर 2189 व 2191 खाता संख्या 67 में खातेदारान कमलेश पुत्र सुरजमल वगैरह के नाम दर्ज रिकोर्ड है तथा कब्जा काश्त है ।

प्रकरण में साक्ष्य करवाये गये । वादी पक्ष की ओर से 1 साक्ष्य पी.डब्ल्यू–1 गीता देवी पत्नी रामप्रसाद जाति मीना निवासी ढाणी झूरांवतन, बसवा के द्वारा लिखित साक्ष्य इस कदर तहरीर कर प्रस्तुत की गई कि ग्राम झरवालों की ढाणी, बसवा में भूमि खतोनी संख्या नई 20 खसरा नंबर 2145/0.76, 2146/0.91, 2146/10021/0.14, 2147/1.15 कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 हैक्टयर स्थित है जिसके पुराने खसरा नंबर 1504, 1505, 1506 जिन्हे शपथग्रहिता ने खातेदार सतीशचंद जरिये रजिस्ट्री कय की, जो शपथग्रहिता के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है ।

इस प्रकार साक्ष्य वादी वादिया गीता देवी द्वारा अपने लिखित साक्ष्य में कमोबेश अपने वाद पत्र में अंकित कथनों का ही अपने लिखित साक्ष्य में दोहरान किया गया ।

साक्ष्य वादी गीता देवी द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित किये गये

– प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2074–77
–प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2039–2042
–प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल संवत् 2052–71
–प्रदर्श –4 मिलान क्षैत्रफल संवत् 2052–71
–प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस संवत् 2003
–प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस संवत् 2052

साक्ष्य वादी से वकील प्रतिवादी/अप्रार्थीगण द्वारा जिरह की गई । जिरह इस प्रकार अंकित की गई – "मेरे ससुर का नाम छाजूलाल है, यह सही है कि रास्ते को लेने के लिये पहले भी कार्यवाही की थी, यह बात सही है कि मेरे ससुर ने 251 ए कार्यवाही की थी । उसमें एस.डी.एम.साहब बांदीकुई के निर्णय को आर.ए.ए., रेवेन्यू बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया । खसरा नंबर दावे में लिखे हुए हैं मुझे याद नहीं है । यह बात सही है कि 2154, 2186, 2189 [illegible] में रास्ता था, लेकिन वर्तमान नक्शे एवं मौके पर कोई रास्ता नहीं है । हमने यह ज[illegible] 201[illegible] में मिश्रों से खरीदी थी । यह बात सही है कि नाले तक डामर रोड बनी हुई है, [illegible] खेत से नाले की पुलिया तक ग्रेवल सडक बनी हुई है । यह बात सही है कि नाले [illegible] से ग्रेवल रोड झरवालों की ढाणी से होते हुए थमावली गांव तक जाती है । हमारे खेत के दोनों तरफ ग्रेवल सडक बनी हुई है । यह कहना गलत है कि मैंने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लि[illegible] दावा पेश किया है ।

तदोपरांत प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी करवाये गये । प्रतिवादी पक्ष की ओर से 2 साक्ष्य कमशः डी.डब्ल्यू–1 बद्रीप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण निवासी बेदाली की ढाणी, बसवा एवम् डी. डब्ल्यू–2 किशनलाल पुत्र दामोदर जाति हरि. ब्राहमण निवासी बेदाली की ढाणी, बसवा के लिखित

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये । उक्त दोनों साक्षी द्वारा उनके द्वारा मूल वाद के जवाब में जो अंकित किया है उन्हें ही कमोबेश उनके लिखित साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया गया है ।

प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी डी.डब्ल्यू.–1 द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में तहरीर किया कि मैं बद्री प्रसाद पुत्र श्री मूलचंद उम्र 75 वर्ष निवासी बेदाली की ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा वादपत्र के समर्थन में बयान करता हूँ कि मैंने मेरे जवाब के समर्थन प्रदर्श डी–1 लगायत डी. 7 पेश किया है जो शामिल पत्रावली है । दौराने साक्ष्य डी.डब्ल्यू–1 से जिरह करवाई गई " मैं 10वीं पढ़ा लिखा हूँ । मुझे पता नहीं शपथ पत्र कब पेश किया गया । शपथ पत्र वकील ने लिखवाया होगा । क्या लिखवाया मुझे पता नहीं । खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 जिसके पुराने खसरा नंबर 1509, 1515, 1516, 1539, 1541 में नक्शे में पगडण्डी बनी होगी लेकिन मैंने कभी नहीं देखी यदि पुराने नक्शे और नये नक्शे में कोई गलती हो जावे तो उसको श्रीमान् उप जिला कलक्टर सही कर सकते हैं या नहीं, मैं यह नहीं बता सकता । मैं नहीं बता सकता कि गीता देवी किस खसरा नंबर में से होकर गुजरती है । मैंने शपथ पत्र में कोई खसरा नंबर नही लिखें ।

इसी प्रकार डी.डब्ल्यू–2 द्वारा उनके शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य में बयानात कायम करवाये गये एवं जिरह करवाई गई ।

प्रकरण का आद्योपांत अध्ययन किया गया । वकील प्रतिवादी द्वारा पूर्व में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन रहे व निर्णित धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, दौसा मु.जयपुर की अपील संख्या 12/2013 उनवानी प्रकरण शिवलहरी बनाम छाजूलाल निर्णय दिनांक 19.2.2013 की प्रति पेश की, जिसके मुताबिक वादिया गीता देवी की ओर से उनके ससुर मुख्तयारनामा धारक श्री छाजूलाल द्वारा उक्त प्रकरण में प्रारंभिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के प्रकरण संख्या 33/2012 छाजूलाल बनाम शिवलहरी निर्णय दिनांक 7.1.2013 में धारा 251 ए में वादिया गीतादेवी के पक्ष में निर्णय हुआ था, किंतु अपीलीय न्यायांलय आर.ए.ए. जयपुर कंप दौसा द्वारा उपर्युक्त निर्णय के द्वारा प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार करके, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.1.2013 को खारिज किया गया ।

तदोपरांत न्यायालय आर.ए.ए. जयपुर कंप दौसा के उपर्युक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर, वादिया की ओर से उनके मुख्तारनामा धारक श्री छाजूलाल द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डज राजस्थान अजमेर के समक्ष एक निगरानी उनवान छाजूलाल बनाम शिवलहरी वगैरह कमांक निगरानी/टी.ए. /2012/2013/दौसा पेश की गई । न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 27.12.2016 के द्वारा निर्णय किया कि "उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है । भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कंप दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.2.2013 की पुष्टि की जाती है ।"

इस निर्णय के उपरांत पुनः वादिया द्वारा जरिये मुख्तारनामा धारक श्री छाजूलाल के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के सम्मुख पुन नजरसानी उनवानी प्रकरण छाजूलाल बनाम शिवलहरी के उनवान से कमांक नजरसानी/टी.ए./1584/2017/दौसा के द्वारा दायर की गई । किंतु उक्त नजरसानी प्रकरण को भी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 4.1.2018 को इस आशय के आदेश के साथ खारिज किया गया कि "उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय को निष्कर्ष है कि आलोच्य निर्णय दिनांक 27.12.2016 में ऐसी कोई त्रुटि दृष्टव्य नहीं है जिसे अभिलेख के आमुख पर दृष्टव्य त्रुटि (error apparent on the face of the record) माना जावे । परिणामतः हस्तगत नजरसानी प्रा.पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त दस्तावेजात व विवेचन से यह स्पष्ट पाया गया कि वादिया द्वारा पूर्व में उनकी आराजियात हेतु रास्ते के लिये विविध प्रकार से प्रयास किये हैं ।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई । दोनों ही पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने – अपने मुवक्किलों के पक्ष में तर्क दिये ।

पत्रावली पर प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात, बहस, बयानात एवं जिरह का परिशीलन किया गया । प्रस्तुत तर्कों व न्यायालय विनिश्चय में बिन्दुओं को नजर में रखते हुए विवाद्यक बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

1. विवाद्यक बिन्दु संख्या 1 – आया वादीया विरुद्ध प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 गत खसरा नंबर 1502, 1515, 1516, 1539, 1541 में पगडण्डी नक्शा ट्रेस में की हाल नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज को दुरस्त करवाने की अभिधारी है ?

प्रकरण के आद्योपांत अध्ययन एवं विश्लेषण, वादपत्र, जवाब, बयानात एवं बहस से यह बिन्दु वादिया सिद्ध करने में असफल रही है कि प्रश्नगत उपरोक्त खसरा नंबरान में जो अंकन था वह पगडण्डी के लिये था एवं उक्त खसरा नंबरान में पूर्व में कभी आवागमन, हेतु इन खसरा नंबरों की भूमि का उपयोग दिगर भूमि के काश्तकारों द्वारा किया जाता था । लिहाजा बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है ।

2. विवाद्यक बिन्दु संख्या 2 –आया वाादग्रसत भूमि में वादिया व पूर्व खातेदार हल बैल, ट्रेक्टर जीप लाते ले जाते रहे हैं ।

इस तरह का कोई दस्तावेजात अथवा स्वतंत्र गवाहान की गवाही करवाने में दोनों ही पक्ष असफल रहे हैं जो दस्तावेजात/गवाहान इस तथ्य की ताईद कर सके कि इस भूमि में से पूर्व में आवागमन/कृषि साधनों का आवागमन होता था । ऐसी दशा में स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 की जांच रिपोर्ट गौर फरमाने योग्य है, जो कि तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 12.11.2021 की रिपोर्ट में अंकन किया है "साबिक नक्शा सीट में खसरा नंबर 1541, 1539, 1515 व 1516 व 7509 में होकर डोटेड पगडण्डीनुमा रास्ता दर्ज है । जिसका कोई खसरा नंबर एवं कोई रकबा अंकित नहीं है । उपरोक्त साबिक नंबरों के नये नंबर 2154, 2188, 2189, 2191 व 2192 बने हैं, जिनमें वर्तमान रिकोर्ड में कोई पगडण्डी दर्ज नहीं है । न ही मौके पर कोई पगडण्डी या रास्ता चालू है ।"

मौके पर कोई पगडण्डी/रास्ता नहीं होने से, विवाद्यक बिन्दु संख्या 2 का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

3. विवाद्यक बिन्दु संख्या 3 – आया वादग्रस्त भूमि डोटेड पगडण्डीनुमा रास्ता के कोई/खसरा नंबर/रकबा अंकित नहीं हैं तथा मौके पर पगडण्डी रास्ता नहीं है । न ही वर्तमान रिकोर्ड में पगडण्डी दर्ज है, दावा खारिज योग्य है ।

यद्यपि साबिक नक्शा अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत खसरा नंबरों में डोटेड लाइन का अंकन जरूर किया हुआ है, किंतु यह डोटेड लाइन जिन खातेदारों की इन खसरों की भूमि हैं, उनके अतिरिक्त दीगर खातेदारों के लिये उक्त भूमि का उपयोग रास्ता अथवा पगडण्डी के लिये किया जाता रहा है, ऐसा कोई दस्तावेजात वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से, बिन्दु का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

4. विवाद्यक बिन्दु संख्या 4 – आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 में होकर कभी भी पगडण्डी या रास्ता मौके पर नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है अतः दावा खारिज करने योग्य है ।

यद्यपि साबिक नक्शा अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत खसरा नंबरों में डोटेड लाइन का अंकन जरूर किया हुआ है, किंतु यह डो[illegible] पर कभी पूर्व में आम रास्ते अथवा आवागमन के लिये उपयोग में[illegible] विवाद्यक बिन्दु को वादी ऐसे साक्ष्यों को पेश करने में असफल रहे है कि उक्त [illegible] रूपी जो रेखा है उस पर वादिया या उनसे पूर्व खातेदार श्री सतीशचंद द्वारा उपयोग में लाया गया । लिहाजा बिन्दु का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

5. विवाद्यक बिन्दु संख्या 5 – आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2154, 2186, बाबत वादिया ससुर उनवानी वाद छाजूलाल बनाम बुद्धालाल में अंतर्गत धारा 251 ए आर..टी.ए. रास्ता न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 7.1.2013 को प्रा.पत्र स्वीकार किया जो अपीलीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

1. विवाद्यक बिन्दु संख्या 1 – आया वादीया विरूद्ध प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 गत खसरा नंबर 1502, 1515, 1516, 1539, 1541 में पगडण्डी नक्शा ट्रेस में की हाल नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज को दुरस्त करवाने की अभिधारी है ?

प्रकरण के आद्योपांत अध्ययन एवं विश्लेषण, वादपत्र, जवाब, बयानात एवं बहस से यह बिन्दु वादिया सिद्ध करने में असफल रही है कि प्रश्नगत उपरोक्त खसरा नंबरान में जो अंकन था वह पगडण्डी के लिये था एवं उक्त खसरा नंबरान में पूर्व में कभी आवागमन, हेतु इन खसरा नंबरों की भूमि का उपयोग दिगर भूमि के काश्तकारों द्वारा किया जाता था । लिहाजा बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है ।

2. विवाद्यक बिन्दु संख्या 2 –आया वाादग्रसत भूमि में वादिया व पूर्व खातेदार हल बैल, ट्रेक्टर जीप लाते ले जाते रहे हैं ।

इस तरह का कोई दस्तावेजात अथवा स्वतंत्र गवाहान की गवाही करवाने में दोनों ही पक्ष असफल रहे हैं जो दस्तावेजात/गवाहान इस तथ्य की ताईद कर सके कि इस भूमि में से पूर्व में आवागमन/कृषि साधनों का आवागमन होता था । ऐसी दशा में स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 की जांच रिपोर्ट गौर फरमाने योग्य है, जो कि तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 12.11.2021 की रिपोर्ट में अंकन किया है "साबिक नक्शा सीट में खसरा नंबर 1541, 1539, 1515 व 1516 व 7509 में होकर डोटेड पगडण्डीनुमा रास्ता दर्ज है । जिसका कोई खसरा नंबर एवं कोई रकबा अंकित नहीं है । उपरोक्त साबिक नंबरों के नये नंबर 2154, 2188, 2189, 2191 व 2192 बने हैं, जिनमें वर्तमान रिकोर्ड में कोई पगडण्डी दर्ज नहीं है । न ही मौके पर कोई पगडण्डी या रास्ता चालू है ।"

मौके पर कोई पगडण्डी/रास्ता नहीं होने से, विवाद्यक बिन्दु संख्या 2 का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

3. विवाद्यक बिन्दु संख्या 3 – आया वादग्रस्त भूमि डोटेड पगडण्डीनुमा रास्ता के कोई/खसरा नंबर/रकबा अंकित नहीं हैं तथा मौके पर पगडण्डी रास्ता नहीं है । न ही वर्तमान रिकोर्ड में पगडण्डी दर्ज है, दावा खारिज योग्य है ।

यद्यपि साबिक नक्शा अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत खसरा नंबरों में डोटेड लाइन का अंकन जरूर किया हुआ है, किंतु यह डोटेड लाइन जिन खातेदारों की इन खसरों की भूमि हैं, उनके अतिरिक्त दीगर खातेदारों के लिये उक्त भूमि का उपयोग रास्ता अथवा पगडण्डी के लिये किया जाता रहा है, ऐसा कोई दस्तावेजात वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से, बिन्दु का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

4. विवाद्यक बिन्दु संख्या 4 – आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2154, 2186, 2189, 2191 में होकर कभी भी पगडण्डी या रास्ता मौके पर नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है अतः दावा खारिज करने योग्य है ।

यद्यपि साबिक नक्शा अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत खसरा नंबरों में डोटेड लाइन का अंकन जरूर किया हुआ है, किंतु यह डोटेड लाइन पर कभी पूर्व में आम रास्ते अथवा आवागमन के लिये उपयोग में लाई गई अथवा [illegible] विवाद्यक बिन्दु को वादी ऐसे साक्ष्यों को पेश करने में असफल रहे हैं कि [illegible] लाइन रूपी जो रेखा है उस पर वादिया या उनसे पूर्व खातेदार श्री सतीशचंद द्वारा [illegible]योग में लाया गया । लिहाजा बिन्दु का विनिश्चयन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

5. विवाद्यक बिन्दु संख्या 5 – आया वादग्ररत भूमि खसरा नंबर 2154, 2186, बाबत वादिया ससुर उनवानी वाद छाजूलाल बनाम बुद्धालाल में अंतर्गत धारा 251 ए आर..टी.ए. रास्ता न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 7.1.2013 को प्रा.पत्र स्वीकार किया जो अपीलीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

आर.ए.ए. जयपुर, न्यायालय राजस्व मण्डल अजमर द्वारा न्यायालय उप ाजला कलक्टर निर्णय निरस्त किया गया है, दुरस्ती की आड में खातेदारी रकबा कम नहीं किया जा सकता । वाद खारिज किया जावे ।

विन्दु के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रचलित विधियों के अनुसार यदि किसी की खातेदारी में किसी दिगर व्यक्ति की भूमि अथवा राजकीय भूमि त्रुटिपूर्वक दर्ज हो गई हो तो, उसे खातेदारी भूमि में से कम किया जा सकता है, अर्थात् यह तक कतई त्रुटिपूर्ण है कि खातेदारी भूमि में त्रुटिपूर्वक किसी अन्य टाइटलहोल्डर की भूमि को अंकित कर दिया हो अथवा दर्शा दिया हो तो प्रचलित विधियों के माध्यम से, त्रुटिपूर्वक जिस खातेदारी की भूमि में ऐसी अभिवृद्धि हुई है, उसे कम किया जा सकता है । किंतु प्रश्नगत प्रकरण में वादिया इस तर्क को सिद्ध करने में असफल रही है कि साबिक रिकोर्ड में अंकित डोटेड लाइन, का प्रयोग कभी वादिया अथवा उनसे पूर्व खातेदार श्री सतीशचंद द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया गया । लिहाजा, बिन्दु का विश्चियन प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

6. विवाद्यक बिन्दु संख्या 6 –आया वादीया भूमि खसरा नंबर 2145 में ग्राम झरवालों के खसरा नंबर 2132 गै.मु. रास्ता भूमि में पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा डामर सडक निर्माण कर खसरा नंबर 2116, 2113/2, 2112, 2110 में होते हुए खसरा नंबर 2189 जो नक्शे की भूमि है, पुलिया तक ग्रेवल सडक है, इस कारण दावा खारिज योग्य है।

इस विवाद्यक बिन्दु को सिद्ध करने का भार स्वयं प्रतिवादीगण पर था, किंतु प्रतिवादीगण इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे हैं, तथापि स्वयं वादिया की जिरह के दौरान उन्होंने उनके बयानात में अंकन करवाया है कि "यह बात सही है कि नाले तक डामर रोड बनी हुई है, यह कहना गलत है कि हमारे खेत से नाले की पुलिया तक ग्रेवल सडक बनी हुई है । यह बात सही है कि नाले की पुलिया से ग्रेवल रोड झरवालों की ढाणी से होते हुए थमावली गांव तक जाती है । हमारे खेत के दोनों तरफ ग्रेवल सडक बनी हुई है । यह कहना गलत है कि मैंने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये दावा पेश किया है ।"

उक्त बयानात वादिया स्वयं प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर होने से, बिन्दु संख्या 6 का विनिश्चय आंशिक रूप से स्वयं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

उपरोक्त वाद पत्र, जवाब, नजीर एवं बहस, गवाहान एवं दस्तावेजात के आधार पर आद्योपांत मनन एवं परिशीलन करने के उपरांत हम इस प्रकरण में निम्नानुसार तथ्यों एवं बिन्दुओं को स्वीकार करने में न्यायहित एवं विधिसम्मत पाते हैं :–स्वयं वादिया द्वारा यह स्वीकार करना कि उनके खेतों के दोनों तरफ ग्रेवल सडक बनी हुई है । इसी प्रकार वादिया के इस तर्क व बिन्दु को सिद्ध करने में असफल रहने में कि उनके द्वारा विवेचित भूमि में पूर्व में निहित रही पगडण्डी का कभी उपयोग किया है । साथ प्रश्नगत पगडण्डी की किस्म आमजन उपयोग हेतु पगडण्डी अथवा रास्ते के लिये रही अथवा कितना–कितना रकबा व किस्म रही इत्यादि बिन्दुओं को सिद्ध करने में वादिया असफल रही है । लिहाजा प्रस्तुत वादपत्र को काबिल खारिज पाया जाता है ।

आदेश

Signature Not Verified

प्रकरण के सम्पूर्ण अध्ययन एवं बहस ... उ... हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थना पत्र /दावा काबिले खारिज होने से खारिज किया जाता है ।

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । ...ावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
जिला– दौसा

उपखण्ड अधिकारी
लवाण (दौसा)